रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18062026-273573
CG-DL-E-18062026-273573

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]	नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 2026/ज्येष्ठ 27, 1948
No. 441]	NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जून, 2026

सा. का. नि. 492(अ).— सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारूप, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा. का. नि. 872 (अ.) तारीख 27 नवंबर, 2025 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभवना थी उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे,

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां 27 नवंबर, 2025 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब, अतः केंद्रीय सरकार सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरेगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. (1) इन नियम का संक्षिप्त नाम सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 में,

(क) नियम 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"10क. रजिस्ट्री शुल्क के संदाय और इसके उपयोग का ढंग - सरोगेसी क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण के लिए शुल्क संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के आधिकारिक पदनाम के नाम पर खोले गए बैंक खाते में जमा किया जाएगा और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यकलापों के संबंध में उपयोग किया जाएगा।

(ख) नियम 11 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"11क. धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन क्लिनिक के रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के नवीकरण की रीति और रजिस्ट्री के नवीकरण के लिए शुल्क - (1) रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए आवेदन सरोगेसी क्लिनिकों द्वारा प्ररूप 3 में राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से उपयुक्त प्राधिकारी को ऐसे रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से कम से कम साठ दिन पहले किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन रजिस्ट्री के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ सरोगेसी क्लीनिक के लिए एक लाख रुपये की अप्रतिदेय शुल्क होगी ।

(3) जहां किसी भी सरोगेसी क्लिनिक के नवीकरण के लिए आवेदन उसके रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से पहले साठ दिन की अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है, प्रारंभिक रजिस्ट्री की दशा में यथा लागू दो लाख रुपये की आवेदन शुल्क संदत्त करना अपेक्षित होगा:

परंतु कि सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में स्थापनों के रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

(4) राष्ट्रीय रजिस्ट्री पोर्टल पर रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, क्लिनिक की ओर से प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित भरे हुए आवेदन पत्र का एक पीडीएफ प्रिंटआउट संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और नवीकरण के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा, जिस तारीख को विहित शुल्क के साथ आवेदन की पीडीएफ प्रति, उपयुक्त प्राधिकारी को प्राप्त हो जाएगी।

(5) रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए शुल्क संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के आधिकारिक पदनाम के नाम पर खोले गए बैंक खाते में जमा की जाएगी और अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन से जुड़े कार्यकलापों के संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उपयोग किया जाएगा।

(6) रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, उपयुक्त प्राधिकारी साठ दिन की अवधि के भीतर, -

(क) निरीक्षण करने और स्वयं का समाधान करने के पश्चात् की आवेदक ने अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विहित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, प्ररूप 4 में यथाविनिर्दिष्ट क्लिनिक के रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र का नवीकरण करें; या

(ख) अभिलिखित कारणों के लिए ऐसे आवेदन को अस्वीकार करें, यदि वह आवेदन अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं है:

परंतु कि रजिस्ट्री के नवीकरण के लिए कोई भी आवेदन, आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

(7) यदि किसी सरोगेसी क्लिनिक के रजिस्ट्री के नवीकरण के लिए कोई आवेदन उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो आवेदक द्वारा उसी क्लिनिक के लिए नवीकरण आवेदन को पुन: प्रस्तुत करने पर कोई शुल्क संदत्त करना अपेक्षित नहीं होगा, यदि यह यथास्थिति अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों, के उपबंधों का अनुपालन करता है

(8) रजिस्ट्री प्रमाण पत्र के नवीकरण या ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन की अस्वीकृति के संबंध में सूचना राज्य बोर्ड को दी जाएगी।

(9) रजिस्ट्री का नवीकृत प्रमाण पत्र सरोगेसी क्लिनिक द्वारा अपने कारबार के स्थान पर सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(10) रजिस्ट्री प्रमाण पत्र का नवीकरण पूर्व में दिए गए रजिस्ट्री प्रमाण पत्र की समाप्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

[फा.स. यू. 11019/15/2022-एचआर(पार्ट)]

ऋचा खोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा. का. नि. *460 (अ), तारीख 21 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे* और तत्पश्चात् संख्यांक सा.का.नि. 772 (अ), *तारीख* 10 अक्तूबर, 2022, सा. का. नि. 179 (अ), *तारीख* 14 मार्च, 2023, सा. का. नि. 415 (अ), *तारीख* 8 जून, 2023, सा.का.नि. 494 (अ), *तारीख* 11 जुलाई, 2023 और सा.का.नि. 119 (अ), *तारीख* 21 फरवरी, 2024 द्वारा संशोधित *किए गए थे*।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th June, 2026

G.S.R.492(E).— Whereas a draft of certain rules further to amend the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 872(E), dated the 27th November, 2025 as required by sub-section (1) of section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), inviting objections and suggestions from all person likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to public,

And whereas, copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 27th November, 2025;

And whereas, objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 50 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022, namely: -

1. (1) These rules may be called the Surrogacy (Regulation) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Surrogacy (Regulation) Rules, 2022,-

(a) After rule 10, the following rule shall be inserted, namely:

"10A. Mode of payment of registration fee and its utilisation.-The fee for registration of surrogacy clinic shall be deposited in a bank account opened in the name of the official designation of the appropriate authority concerned and shall be utilised by the appropriate authority in connection with the activities connected with implementation of the provisions of the Act and rules made thereunder.";

(b) after rule 11, the following rule shall be inserted, namely:-

"11A. Manner of renewal of certificate of registration and fee for renewal of registration of clinic under sub-section (3) of section 12.-(1) An application for renewal of a certificate of registration shall be made by surrogacy clinics in Form 3 to the appropriate authority through the National Registry portal, at least sixty days before the date of expiry of such certificate of registration.

(2) Every application for renewal of registration under sub-rule (1) shall be accompanied with a non-refundable fee of one lakh rupees for surrogacy clinics.

(3) Where an application for renewal of any surrogacy clinic is not received within a period of sixty days before the date of expiry of its certificate of registration, application fee of two lakh rupees as applicable in case of initial registration shall be required to be paid:

Provided that establishments in the Government-run institutes need not pay any fee for the renewal of certificate of registration.

(4) After submission of the online application for renewal of certificate of registration on the National Registry portal, a PDF printout of the filled-in application form, duly signed by the authorised signatory on behalf of the clinic, shall be submitted to the appropriate authority of the respective State Government or Union territory Administration and the application for renewal shall be considered only from the date the prescribed fee, along with the PDF copy of the application, is received by the appropriate authority.

(5) The fee for renewal of certificate of registration shall be deposited in a bank account opened in the name of the official designation of the appropriate authority concerned and shall be utilised by the appropriate authority in connection with the activities connected with implementation of the provisions of the Act and rules made thereunder.

(6) On receipt of the application for renewal of certificate of registration, the appropriate authority shall within a period of sixty days,-

(a) after inspection and satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements prescribed under the Act and rules made thereunder, renew the certificate of registration of the clinic as specified in Form 4, subject to the provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder; or

(b) reject such application for reasons to be recorded in writing, if that application does not conform to the provisions of the Act or the rules or regulations made thereunder:

Provided that no application for renewal of registration shall be rejected without giving an opportunity of being heard to the applicant.

(7) If an application for renewal of registration of any Surrogacy clinic is rejected by the appropriate authority, no fee shall be required to be paid for re-submission of the renewal application by the applicant for the same clinic, if it complies with the provisions of the Act, or the rules or regulations made thereunder, as the case may be.

(8) The intimation with regard to renewal of certificate of registration or rejection of application for such renewal shall be made to the State Board.

(9) The renewed certificate of registration shall be displayed by the surrogacy clinic at a conspicuous place at its place of business.

(10) The renewal of certificate of registration shall be valid for a further period of three years from the date of expiry of the certificate of registration earlier granted.”.

[F.No. U. 11019/15/2022-HR(Pt.)]

RICHA KHODA, Jt. Secy.

Note: The Surrogacy (Regulation) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 460 (E), dated the 21st June, 2022 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 772 (E), dated the 10th October, 2022, G.S.R. 179 (E), dated the 14th March, 2023, G.S.R. 415 (E), dated the 8th June, 2023, G.S.R. 494 (E), dated the 11th July, 2023 and G.S.R. 119 (E), dated the 21st February, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.18 16:02:13 +05'30'